भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *77
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

चेन्नै में उच्चतम न्यायालय की स्थायी खंडपीठ

***77. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन :**

श्री डी. एम. कथीर आनंद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिधि जगत के लोगों और सिविल सोसाइटी से चेन्नै में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की स्थापना किए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है;

(ख) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का तीव्र गति से निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) देश के दक्षिणी भाग में दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों की आवागमन और भाषा संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जो उच्चतम न्यायालय में न्याय मांगने आते हैं;

(घ) क्या सरकार ने तमिल को न्यायालय की आधिकारिक भाषा बनाने के संबंध में सकारात्मक रुख अपनाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

डा. टी. सुमति ऊर्फ तामिझाची थंगापंडियन और श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा "चेन्नेई में उच्चतम न्यायालय की स्थायी खंडपीठ" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *77 जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना के संबंध में भाग (क) से (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ङ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे ।

2. देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए विभिन्न क्वाटरों में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त किए जाते है। ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि विषयों पर" नामक अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो अर्थात् (i) दिल्ली स्थित सांविधानिक न्यायालय और (ii) उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत में आसीन अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय में विभाजित करने के लिए दसवें विधि ओग की उसकी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को पुन: दोहराया है । अठारहवें विधि आयोग ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि एक सांविधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जाए और चार मनसूखी न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में स्थापित की जाए ।

3. यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्होंने सूचित किया कि मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को हुई बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्याय पीठों को स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इससे पूर्व अगस्त, 2007 में वैसे ही विचार व्यक्त किए थे ।

4. राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना संबंधी रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) सं. 36/2016 में उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय द्वारा मुद्दे को प्राधिकारिक उदघोषणा के लिए संवैधानिक पीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा । मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है ।

5. न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान से संबंधित मुद्दे न्यायापालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं । समय पर न्यायालयों में मामलों का निपटान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्विष्ट तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति विभिन्न पणधारियों अर्थात् अधिवक्ता, अन्वेषण अभिकरणों , साक्षियों, कक्षीकारों आदि का समावेशन आदि शामिल हैं ।

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी के कारण कोई लंबित मामले नहीं हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय (एससीसी) की सिफारिशों पर समय पर कार्यवाही की गई थी कि उच्चतम न्यायालय पूर्व पद संख्या के साथ कार्य कर रहा है ।

7. केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के तीव्र निपटान को सुकर बनाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं जिनके अंतर्गत न्यायिक अवसंरचना में वृद्धि करना तथा वादकारियों तक वर्चुअल पहुंच को अनुज्ञात करने के लिए ई-फाइलिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग सम्मिलित है ।

8. जहां तक उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों का संबंध है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 (1) (क) यह कथन करता है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 (2) यह उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व

सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 यह कथन करती है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अंग्रेजी भाषा के अतरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया जाता है या दिया जाता है वहां उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

9. तारीख 21.05.1965 को राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए नियुक्त मंत्रिमंडलीय समिति ने यह नियत किया कि उच्च न्यायालय में अंग्रेंजी से भिन्न भाषा से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाए ।

10. पूर्व में क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग को अनुज्ञात करने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई मंत्रिमंडलीय समिति के विनिश्चय के अनुसार, इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र तारीख 16.10.2012 द्वारा यह सूचित किया था कि पूर्ण न्यायालय ने 11.10.2012 को हुई अपनी बैठक में सम्यक् विचार विमर्श के पश्चात्, इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया था ।

11. तमिलनाडु सरकार से प्राप्त पश्चातवर्ती अनुरोध के आधार पर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पूर्वतर विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति को संसूचित करने का अनुरोध किया गया था । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र तारीख 16.10.2012 द्वारा यह सूचित किया है कि पूर्ण न्यायालय ने, व्यापक विचार विमर्श के पश्चा,त् सर्वसम्मति से यह संकल्प किया कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

12. विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में पहुंच को बढावा देने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद साफ्टवेयर (एसयूवीएएस) जो इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से तकनीकी सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा प्रशिक्षित मशीन सहायता प्राप्त अनुवाद यंत्र है, विकसित किया है । यह यंत्र विशेष रूप के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है और वर्तमान में न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों को अंग्रेजी से अठारह भारतीय भाषाओं में और विपर्ययेन अनुवाद करने की क्षमता रखता है । तारीख 15.7.2024 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुवाद यंत्रों का प्रयोग करके, उच्चतम न्यायालय की 51501 निर्णयों का 18 भाषाओं अर्थात् असमिया (34), बंगला (622), गारो (03), गुजराती (1,299), हिंदी (36,260), कन्नड़ (1,911), कश्मीरी (0), खासी (01), कोकणीं (14), मलयालम (1409), मराठी (2248), नेपाली (101), ओड़िया (190), पंजाबी (3,825), संथाली (22), तमिल (2256), तेलुगु (1069) और उर्दू (237) में अनुवाद किया गया है । तारीख 15.07.2024 तक, 18 भाषाओं में अनुवाद किए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के ब्यौरे उच्चतम न्यायालय वेबसाइट के ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध हैं ।

****